उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-*594*/ग्यारह-9(295) / 07-उ0प्र0 अध्या0-37-2007-यू0पी0 वैट नियमावली-08-आदेश-(*6*)-2008
लखनऊ, दिनांक : *25* फरवरी, 2008

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है :

अतएव, अब उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश स0 37 सन् 2007) की धारा 74 के साथ पठित धारा 79 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 को संशोधित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते है;

चूँकि राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करनी आवश्यक हो गयी है अतएव, राज्यपाल उक्त अध्यादेश की धारा 79 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन बिना पूर्व प्रकाशन के उपर्युक्त नियमावली बनाते है :-

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. 1- यह नियमावली उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008 कही जायेगी
2- यह नियमावली जनवरी 01, 2008 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

नियम 2 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा जायेगा, के नियम 2 के उपनियम (1) मे,-

(क) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये खण्ड (ख) के विद्यमान उप खण्ड (एक) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान उप खण्ड	**एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड**
(एक) - राज्य सरकार द्वारा किसी परिसम्भाग में कर निर्धारक अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु नियुक्त एवं तैनात संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण)	(एक) - राज्य सरकार द्वारा किसी **कारपोरेट मण्डल** में कर निर्धारक अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु नियुक्त एवं तैनात संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण)

(ख) नीचे के स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ड) के उप खण्ड (चार) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

(चार) - कर निर्धारक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किसी सम्भाग में तैनात संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण)।	(चार) - कर निर्धारक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किसी **कारपोरेट मण्डल** में तैनात संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण)।

नियम 3 का संशोधन 3. नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उक्त नियमावली के नियम-3 के उप नियम (3) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान उप नियम	**एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
(3) - जहॉं एक से अधिक निम्नलिखित अधिकारी तैनात है, वहॉं कमिश्नर द्वारा; सम्भाग मे अपर कमिश्नर, या संयुक्त कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) या संयुक्त कमिश्नर (प्रर्वतन), संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक); क्षेत्र के उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर या वाणिज्य कर अधिकारी की अधिकारिता का निर्धारण किया जायेगा -	(3) - जहॉं एक से अधिक निम्नलिखित अधिकारी तैनात है, वहॉं कमिश्नर द्वारा; सम्भाग मे अपर कमिश्नर, या संयुक्त कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) या संयुक्त कमिश्नर (प्रर्वतन), संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक), **किसी कारपोरेट मण्डल में संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण)**; क्षेत्र के उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर या वाणिज्य कर अधिकारी की अधिकारिता का निर्धारण किया जायेगा -
(क) किसी परि सम्भाग में अपर कमिश्नर या संयुक्त कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) या संयुक्त कमिश्नर (प्रर्वतन), सम्भाग संयुक्त कमिश्नर (अपील), संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक) ; या	(क) किसी परि सम्भाग में अपर कमिश्नर या संयुक्त कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) या संयुक्त कमिश्नर (प्रर्वतन), सम्भाग में संयुक्त कमिश्नर (अपील), संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक), **किसी कारपोरेट मण्डल में संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण)** ; या
(ख) किसी क्षेत्र में उप कमिश्नर (जॉंच चौकी); उप कमिश्नर (प्रर्वतन) या उप कमिश्नर	(ख) किसी क्षेत्र में उप कमिश्नर (जॉंच चौकी); उप कमिश्नर (प्रर्वतन) या उप कमिश्नर (विशेष

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

(विशेष अनुसंधान शाखा) ; या (ग) किसी क्षेत्र मे उप कमिश्नर (कर निर्धारण) सहायक कमिश्नर (कर निर्धारण) या वाणिज्य कर अधिकारी **स्पष्टीकरण** - उपनियम (3) के अन्तर्गत अधिकारियों की अधिकारिता अवधारित करने में कमिश्नर यह विर्निदिष्ट कर सकते है कि किसी अधिकारी की अधिकारिता ऐसे व्यवहारियों या व्यवहारियों के वर्ग पर रहेगी, और जब तक इस विनिर्देश से अन्यथा कोई अन्य निर्देश नहीं किए जाए तब तक उस अधिकारी या उसके प्रतिस्थापनी अधिकारी की अधिकारिता उन व्यवहारी पर बनी रहेगी और प्रतिस्थापनी अधिकारी प्रकरण का निस्तारण उसी स्तर से प्रारम्भ कर सकता है जिस स्तर पर पूर्वाधिकारी द्वारा छोडा गया था।	अनुसंधान शाखा) ; या (ग) किसी क्षेत्र मे उप कमिश्नर (कर निर्धारण), सहायक कमिश्नर (कर निर्धारण) या वाणिज्य कर अधिकारी **स्पष्टीकरण** - उपनियम (3) के अन्तर्गत अधिकारियों की अधिकारिता अवधारित करने में कमिश्नर यह विर्निदिष्ट कर सकते हैं कि किसी अधिकारी की अधिकारिता ऐसे व्यवहारियों या व्यवहारियों के वर्ग पर रहेगी, और जब तक इस विनिर्देश से अन्यथा कोई अन्य निर्देश नहीं किए जाए तब तक उस अधिकारी या उसके प्रतिस्थापनी अधिकारी की अधिकारिता उन व्यवहारी पर बनी रहेगी और प्रतिस्थापनी अधिकारी प्रकरण का निस्तारण उसी स्तर से प्रारम्भ कर सकता है जिस स्तर पर पूर्वाधिकारी द्वारा छोड़ा गया था।

नियम 5 का संशोधन

4. उक्त नियमावली के नियम 5 मे, -

(क) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (3) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान उप नियम	**एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
(3) - नियम 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी मण्डल में तैनात उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर, या वाणिज्य कर अधिकारी अपनी अधिकारिता की सीमा में कार्यरत व्यवहारियों के कर निर्धारक प्राधिकारी होगें, और जहाँ उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर, या वाणिज्य कर अधिकारी की समस्त व्यवहारियों पर समवर्ती अधिकारिता है, वहाँ कमिश्नर, व्यवहारियों, या व्यावहारियों के वर्ग या वाद या वादों के वर्ग के संबंध में यह विर्निदिष्ट करेगें कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी किसका कर निर्धारक अधिकारी होगा।	(3) - नियम 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, **किसी कारपोरेट मण्डल में तैनात संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण)** किसी मण्डल में तैनात उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर, या वाणिज्य कर अधिकारी अपनी अधिकारिता की सीमा में कार्यरत व्यवहारियों के कर निर्धारक प्राधिकारी होगें, और जहाँ **किसी कारपोरेट मण्डल में तैनात संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण),** उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर, या वाणिज्य कर अधिकारी की समस्त व्यवहारियों पर समवर्ती अधिकारिता है, वहाँ कमिश्नर, व्यवहारियों, या व्यावहारियों के वर्ग या वाद या वादों के वर्ग के संबंध में यह विर्निदिष्ट करेगें कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी किसका कर निर्धारक अधिकारी होगा।

(ख) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये उप नियम (5) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान उप नियम	**एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
(5) - धारा 45 और 48 की समस्त अथवा किसी	(5) - धारा 45 और 48 की समस्त अथवा किसी

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

शक्ति का प्रयोग, अधोलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में वर्णित अधिकारी उनके प्रत्येक के सम्मुख स्तम्भ 2 में वर्णित अधिकारिता क्षेत्र मे करेगे :-		शक्ति का प्रयोग, अधोलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में वर्णित अधिकारी उनके प्रत्येक के सम्मुख स्तम्भ 2 में वर्णित अधिकारिता क्षेत्र मे करेगे :-	
सारणी		**सारणी**	
अधिकारी का पद नाम	**अधिकार क्षेत्र**	**अधिकारी का पद नाम**	**अधिकार क्षेत्र**
(1)	(2)	(1)	(2)
कमिश्नर एवं विशेष कमिश्नर	सम्पूर्ण प्रदेश	कमिश्नर एवं विशेष कमिश्नर	सम्पूर्ण प्रदेश
कमिश्नर के कार्यालय में तैनात अपर कमिश्नर, संयुक्त कमिश्नर, उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर और वाणिज्य कर अधिकारी	सम्पूर्ण प्रदेश	कमिश्नर के कार्यालय में तैनात अपर कमिश्नर, संयुक्त कमिश्नर, उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर और वाणिज्य कर अधिकारी	सम्पूर्ण प्रदेश
संयुक्त कमिश्नर (प्रर्वतन) उप कमिश्नर (प्रर्वतन) उप कमिश्नर (जांच चौकी), तथा विशेष अनुसंधान शाखा, सचल दल या जांच चौकी या नाका पर तैनात समस्त उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर, वाणिज्य कर अधिकारी	सम्पूर्ण प्रदेश	संयुक्त कमिश्नर (प्रर्वतन) उप कमिश्नर (प्रर्वतन) उप कमिश्नर (जांच चौकी), तथा विशेष अनुसंधान शाखा, सचल दल या जांच चौकी या नाका पर तैनात समस्त उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर, वाणिज्य कर अधिकारी	सम्पूर्ण प्रदेश
संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक)	सम्भाग (रीजन)	संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक)	सम्भाग (रीजन)
		किसी कारपोरेट मण्डल में तैनात संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण)	**कारपोरेट मण्डल**
मण्डल मे तैनात उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी	मण्डल	मण्डल मे तैनात उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी	मण्डल
निपटान आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अधिकरण के सभापति एवं सदस्य, अपर कमिश्नर (अपील), संयुक्त कमिश्नर (अपील) और निपटान आयोग तथा अधिकरण के अधिकारियों के अलावा अन्य समस्त अधिकारी	जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विर्निदिष्ट करें।	निपटान आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अधिकरण के सभापति एवं सदस्य, अपर कमिश्नर (अपील), संयुक्त कमिश्नर (अपील) और निपटान आयोग तथा अधिकरण के अधिकारियों के अलावा अन्य समस्त अधिकारी	जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विर्निदिष्ट करें।

नियम 19 का संशोधन

5. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 19 के उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
विद्यमान उप नियम	**एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
(1) धारा 13 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) में सन्दर्भित वस्तुओ के इन्पुट टैक्स की गणना निम्न	(1) धारा 13 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) में सन्दर्भित वस्तुओ के इन्पुट टैक्स की गणना निम्न

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

सूत्र से की जायेगी :- इन्पुट टैक्स की धनराशि = (खरीदी गयी वस्तुओ का डीम्ड क्रय मूल्य × कर की डीम्ड दर) ÷ 100 जहॉं :- (क) वस्तु का डीम्ड क्रय मूल्य है :- (एक) विक्रेता व्यवहारी द्वारा विक्रय बिल अथवा कैश मेमो मे जिस विक्रय मूल्य पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत देय कर अलग से वसूल किया है । (दो) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत क्रेता व्यवहारी ने ऐसी वस्तु के जिस क्रय मूल्य पर स्वयं कर जमा किया है । (तीन) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 मे उपभोक्ता के बिन्दु पर कर देय वस्तु का वह विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर क्रेता ने बिना कर चुकाए उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली में विहित रूपपत्र III-क से खरीदा है। (चार) उन वस्तुओं का क्रय मूल्य जिनकी खरीद एवं बिक्री उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 मे कर मुक्त थी । (पांच) उन वस्तुओं का क्रय मूल्य जिनकी खरीद उन इकाइयो से की गयी थी जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के किसी प्राविधान मे कर देयता से मुक्त थी । (छ:) वस्तु के क्रय मूल्य का 75 प्रतिशत जबकि :- (क) व्यवहारी ने वस्तुओ की खरीद प्रान्त भीतर के पंजीकृत व्यवहारी से की है; और (ख) विक्रेता व्यवहारी ने उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत अलग से कर के रूप मे कोई धनराशि वसूल नही की है	सूत्र से की जायेगी :- इन्पुट टैक्स की धनराशि = (खरीदी गयी वस्तुओ का डीम्ड क्रय मूल्य × कर की डीम्ड दर) ÷ 100 जहॉं :- (क) वस्तु का डीम्ड क्रय मूल्य है :- (एक) विक्रेता व्यवहारी द्वारा विक्रय बिल अथवा कैश मेमो मे जिस विक्रय मूल्य पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत देय कर अलग से वसूल किया है । (दो) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत क्रेता व्यवहारी ने ऐसी वस्तु के जिस क्रय मूल्य पर स्वयं कर जमा किया है । (तीन) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 मे उपभोक्ता के बिन्दु पर कर देय वस्तु का वह विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर क्रेता ने बिना कर चुकाए उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली में विहित रूपपत्र III-क से खरीदा है । (चार) उन वस्तुओं का क्रय मूल्य जिनकी खरीद एवं बिक्री उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 मे कर मुक्त थी । (पांच) उन वस्तुओं का क्रय मूल्य जिनकी खरीद उन इकाइयो से की गयी थी जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के किसी प्राविधान मे कर देयता से मुक्त थी । (छ:) वस्तु के क्रय मूल्य का 75 प्रतिशत जबकि :- (क) व्यवहारी ने वस्तुओ की खरीद प्रान्त भीतर के पंजीकृत व्यवहारी से की है; और (ख) विक्रेता व्यवहारी ने उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत अलग से कर के रूप मे कोई धनराशि वसूल नही की है । **(सात) जहां व्यवहारी, कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप में स्टाक की मदवार सूची प्रस्तुत करने में असमर्थ है, या हार्डवेयर, मिलस्टोर्स, दवाओं, जनरल मर्चेन्डाइस, स्टेशनरी, बिजली की वस्तुओं, सिलेसिलाये परिधान, मसाले एवं कान्डीमेन्ट्स के व्यापारों से सम्बन्धित वस्तुओं के प्रकार में अत्यधिक विविधता होने के कारण (पंजीकृत व्यवहारी से राज्य के**

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

	भीतर उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ से पूर्व छः माह के भीतर की गई खरीद) मदों का बिल / इनवाइस / कैशमेमो से मिलान में कठिनाई उत्पन्न हो वहाँ 31, दिसम्बर, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तैयार किये गये व्यापार लेखा के अनुसार अन्तिम स्टाक का 55 प्रतिशत ।
(ख) कर की डीम्ड दर होगी :- (एक) कर की वह दर जिस दर से :- (क) विक्रेता व्यवहारी ने बिक्री बीजक पर अलग से दिखाते हुए जिस दर से कर वसूल किया है, या उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा 4 मे विहित कर की दर, दोनो मे से जो भी कम हो ; या (ख) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत क्रेता व्यवहारी ने अपनी खरीद पर जिस दर से कर दिया हों या उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा-4 में विहित कर की दर, दोनो मे जो भी कम हो । (दो) यदि विक्रेता व्यवहारी ने बिक्री बीजक या कैश मेमो पर कर या कर की दर अलग से नही घोषित की है तब उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3(क) अथवा धारा 3 (घ) मे विहित कर की दर अथवा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा 4 मे विहित कर की दर, दोनो मे जो भी कम है ।	(ख) कर की डीम्ड दर होगी :- (एक) कर की वह दर जिस दर से :- (क) विक्रेता व्यवहारी ने बिक्री बीजक पर अलग से दिखाते हुए जिस दर से कर वसूल किया है, या उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा 4 मे विहित कर की दर, दोनो मे से जो भी कम हो ; या (ख) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत क्रेता व्यवहारी ने अपनी खरीद पर जिस दर से कर दिया हों या उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा-4 में विहित कर की दर, दोनो मे जो भी कम हो । (दो) यदि विक्रेता व्यवहारी ने बिक्री बीजक या कैश मेमो पर कर या कर की दर अलग से नही घोषित की है तब पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 3-क अथवा धारा 3-घ मे विहित कर की दर अथवा अध्यादेश की धारा 4 मे विहित कर की दर, दोनो मे जो भी कम है, **जहां माल पंजीकृत व्यवहारी से क्रय किया गया हो और बिल या कैशमेमो मे व्यापार कर की धनराशि अलग से नहीं प्रदर्शित की गई हो, या जहां व्यवहारी कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप में स्टाक की मदवार सूची प्रस्तुत करने में असमर्थ हो, या हार्डवेयर, मिलस्टोर्स, दवाओं, जनरल मर्चेन्डाइस, स्टेश्नरी, बिजली की वस्तुओं, सिलेसिलाये परिधान, मसाले एवं कान्डीमेन्ट्स के व्यापारों से सम्बन्धित वस्तुओं के प्रकार में अत्याधिक विविधता होने के कारण (पंजीकृत व्यवहारी से राज्य के भीतर उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ से पूर्व छः माह के भीतर की गई**

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

(तीन) अन्य सभी मामलो मे शून्य । **स्पष्टीकरण :-** इस नियम के अनुसार कर के डीम्ड दर की गणना करने क लिए उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3(ज) के अन्तर्गत देय एक प्रतिशत विकास कर को सम्मिलित नही किया जाऐगा ।	**खरीद) मदों का बिल / इनवाइस / कैशमेमो से मिलान में कठिनाई उत्पन्न हो वहाँ पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 3क या धारा 3घ के अधीन विहित कर की दर या अध्यादेश की धारा 4 के अधीन उपवंधित कर की दर ।** (तीन) अन्य सभी मामलो मे शून्य । **स्पष्टीकरण :-** इस नियम के अनुसार कर के डीम्ड दर की गणना करने के लिए उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-ज के अन्तर्गत देय एक प्रतिशत विकास कर को सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

नियम 20 का संशोधन

6. उक्त नियमावली के नियम 20 मे, -

(क) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
विद्यमान उप नियम	**एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
(1) प्रत्येक व्यवहारी अपने कर निर्धारक अधिकारी को नियम 18 के उप नियम (1) एवं (2) के अनुसार तैयार निम्न वस्तुओ के लिये सूचियो को प्रस्तुत करेगा, जो :- (क) अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से कर योग्य होने वाले व्यवहारी अध्यादेश प्रारम्भ होने के दिनांक में धारित वस्तुओं के आरम्भिक रहतिया की सूची अध्यादेश प्रारम्भ होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर । (ख) अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक के बाद किसी दिनांक से कर योग्य होने वाले व्यवहारी कर योग्य होने के दिनांक में आरम्भिक रहतिये की सूची पंजीयन प्रार्थना पत्र के साथ । (ग) प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष की अन्तिम दिनांक में अवशेष अन्तिम रहतिया, व्यापार के आवर्त एवं कर के वार्षिक रिटर्न के साथ	(1) प्रत्येक व्यवहारी अपने कर निर्धारक अधिकारी को नियम 18 के उप नियम (1) एवं (2) के अनुसार तैयार निम्न वस्तुओं के लिये सूचियों को प्रस्तुत करेगा, जो :- (क) अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से कर योग्य होने वाले व्यवहारी अध्यादेश प्रारम्भ होने के दिनांक में धारित वस्तुओं के आरम्भिक रहतिया की सूची अध्यादेश प्रारम्भ होने के दिनांक से **साठ** दिन के भीतर । (ख) अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक के बाद किसी दिनांक से कर योग्य होने वाले व्यवहारी कर योग्य होने के दिनांक में आरम्भिक रहतिये की सूची पंजीयन प्रार्थना पत्र के साथ । (ग) प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष की अन्तिम दिनांक में अवशेष अन्तिम रहतिया, व्यापार के आवर्त एवं कर के वार्षिक रिटर्न के साथ

(ख) निम्न सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित उप नियम (4) के स्थान पर स्तम्भ 2 में उप नियम प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे :-

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
विद्यमान उप नियम	**एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
(4) उपनियम (1) के खण्ड (क) एवं (ख) के	(4) उपनियम (1) के खण्ड (क) एवं (ख) के

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

सम्बन्ध में :- (क) यदि कर निर्धारक अधिकारी सन्तुष्ट है कि दी गई सूचनाए सही एवं पूर्ण है, तब वह, चार माह की समाप्ति के पूर्व अधिनियम एवं नियमो के प्राविधानो के अनुरुप इन्पुट टैक्स की गणना करते हुए आदेश पारित करेगा और इस आदेश की प्रति व्यवहारी पर तामील कराएगा।	सम्बन्ध में :- (क) यदि कर निर्धारक अधिकारी सन्तुष्ट हैं कि दी गई सूचनाए सही एवं पूर्ण है, तब वह **उप नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन यथा उपबंधित सूची को दाखिल करने के लिए विहित अन्तिम दिनांक से** चार माह की समाप्ति के पूर्व अधिनियम एवं नियमो के प्राविधानो के अनुरुप इन्पुट टैक्स की गणना करते हुए आदेश पारित करेगा और इस आदेश की प्रति व्यवहारी पर तामील कराएगा।
(ख) यदि अभिलेखो मे उपलब्ध तथ्यो के आधार पर कर निर्धारक अधिकारी संतुष्ट है कि, व्यवहारी द्वारा दी गई सूचनाए अपूर्ण और सही नही है या विश्वास किये जाने योग्य नही है, तब वह व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करके यथावश्यक जाचोपरान्त, आध्यादेश और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार देय इन्पुट टैक्स की गणना करते हुए आदेश पारित करेगा तथा इस आदेश की एक प्रति व्यवहारी पर तामील कराएगा।	(ख) यदि अभिलेखो मे उपलब्ध तथ्यो के आधार पर कर निर्धारक अधिकारी संतुष्ट हैं कि, व्यवहारी द्वारा दी गई सूचनाए अपूर्ण और सही नही है या विश्वास किये जाने योग्य नहीं हैं, तब वह व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करके यथावश्यक जाचोपरान्त, आध्यादेश और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार देय इन्पुट टैक्स की गणना करते हुए आदेश पारित करेगा तथा इस आदेश की एक प्रति व्यवहारी पर तामील कराएगा।
(ग) यदि कर निर्धारक अधिकारी खण्ड (क) एवं (ख) मे विहित समय सीमा के भीतर आदेश पारित नही करता है, संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक) समुचित कारणो के विद्यमान होने से सन्तुष्ट होकर सामान्य या विशिष्ट प्रकरण मे कर निर्धारक अधिकारी को चार माह की समय सीमा के बाद भी परन्तु अगले टैक्स पीरियड जिसमे इन्पुट टैक्स क्रेडिट की प्रथम किश्त का दावा प्रस्तुत होना है, के रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित अन्तिम दिनांक के पूर्व, आदेश पारित करने की अनुमति दे सकता है।	(ग) यदि कर निर्धारक अधिकारी खण्ड (क) एवं (ख) मे विहित समय सीमा के भीतर आदेश पारित नही करता है, संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक) समुचित कारणो के विद्यमान होने से सन्तुष्ट होकर सामान्य या विशिष्ट प्रकरण मे कर निर्धारक अधिकारी को चार माह की समय सीमा के बाद भी परन्तु अगले टैक्स पीरियड जिसमे इन्पुट टैक्स क्रेडिट की प्रथम किश्त का दावा प्रस्तुत होना है, के रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित अन्तिम दिनांक के पूर्व, आदेश पारित करने की अनुमति दे सकता है।

नियम 24 का संशोधन

7. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 24 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
विद्यमान नियम	**एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
उन वस्तुओं के संबंध में जिनका इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा प्रस्तुत करने हेतु व्यवहारी अधिकृत है, का दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया	उन वस्तुओं के संबंध में जिनका इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा प्रस्तुत करने हेतु व्यवहारी अधिकृत है, का दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

जाएगा :-	जाएगा :-
(क) निर्माण में प्रयोग होने वाले पूँजी माल के इन्पुट टैक्स की धनराशि के लिए इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा तीन बराबर धनराशि की वार्षिक किस्तो में कर निर्धारण वर्ष के प्रथम टैक्स अवधि के टैक्स रिर्टन मे प्रस्तुत किया जाएगा । इस प्रकार की प्रथम किस्त का दावा, जिस कर निर्धारण वर्ष में पूँजी माल की खरीद की गई है उससे अगले कर निर्धारण वर्ष के प्रथम टैक्स अवधि के टैक्स रिर्टन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा तथा अगली किश्तों का दावा अगले कर निर्धारण वर्षों के प्रथम टैक्स अवधि मे किया जाएगा।	(क) निर्माण में प्रयोग होने वाले पूँजी माल के इन्पुट टैक्स की धनराशि के लिए इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा तीन बराबर धनराशि की वार्षिक किस्तो में कर निर्धारण वर्ष के प्रथम टैक्स अवधि के टैक्स रिर्टन मे प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार की प्रथम किस्त का दावा, जिस कर निर्धारण वर्ष में पूँजी माल की खरीद की गई है उससे अगले कर निर्धारण वर्ष के प्रथम टैक्स अवधि के टैक्स रिर्टन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा तथा अगली किश्तों का दावा अगले कर निर्धारण वर्षों के प्रथम टैक्स अवधि मे किया जाएगा।
प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ निर्मित वस्तुए अध्यादेश के अन्तर्गत कर मुक्त है और इस प्रकार निर्मित वस्तुओं को अलग-अलग प्रकार से निस्तारित किया गया है, इन्पुट टैक्स क्रेडिट की वार्षिक किस्त का दावा आंशिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और व्यवहारी को उसी सीमा तक अनुमन्य किया जाएगा जिस अनुपात में भारत की सीमा से बाहर वस्तु का निर्यात हुआ है।	प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ निर्मित वस्तुए अध्यादेश के अन्तर्गत कर मुक्त है और इस प्रकार निर्मित वस्तुओं को अलग-अलग प्रकार से निस्तारित किया गया है, इन्पुट टैक्स क्रेडिट की वार्षिक किस्त का दावा आंशिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और व्यवहारी को उसी सीमा तक अनुमन्य किया जाएगा जिस अनुपात में भारत की सीमा से बाहर वस्तु का निर्यात हुआ है।
(ख) उन वस्तुओ के सबन्ध में जिनकी खरीद अध्यादेश प्रारम्भ होने के पूर्व छह माह के भीतर की गयी है तथा अध्यादेश प्रारम्भ होने के दिनांक में स्टाक में है, पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा, 6 बराबर धनराशि की मासिक अथवा त्रैमासिक किस्तो में किया जाएगा, और ऐसी प्रथम किस्त उस टैक्स पीरियड के टैक्स रिर्टन के साथ प्रस्तुत की जाएगी जो टैक्स पीरियड अध्यादेश प्रारम्भ होने के दिनांक के चार माह बाद प्रारम्भ हो रहा है, और अगली मसिक या त्रैमासिक किश्ते जैसी भी स्थिति हो, अगले टैक्स पीरियड के रिटर्न मे प्रस्तुत की जाएगी।	(ख) उन वस्तुओ के सबन्ध में जिनकी खरीद अध्यादेश प्रारम्भ होने के पूर्व छह माह के भीतर की गयी है तथा अध्यादेश प्रारम्भ होने के दिनांक में स्टाक में है, पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा, 6 बराबर धनराशि की मासिक अथवा त्रैमासिक किस्तो में किया जाएगा, और ऐसी प्रथम किस्त उस टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत की जाएगी जो टैक्स पीरियड अध्यादेश प्रारम्भ होने के दिनांक के **पाँच** माह बाद प्रारम्भ हो रहा है, और अगली मसिक या त्रैमासिक किश्ते जैसी भी स्थिति हो, अगले टैक्स पीरियड के रिटर्न मे प्रस्तुत की जाएगी।
(ग) उन मामलो मे जिनमें व्यवहारी अध्यादेश प्रारम्भ होने के उपरान्त के किसी दिनांक से कर योग्य होता है, उसके कर योग्य होने के दिनांक में धारित आरम्भिक रहतिया की वस्तु के सम्बन्ध में इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा 6 बराबर धनराशि की मासिक या त्रैमासिक किस्तो में, जैसी भी स्थिति हो,	(ग) उन मामलो मे जिनमें व्यवहारी अध्यादेश प्रारम्भ होने के उपरान्त के किसी दिनांक से कर योग्य होता है, उसके कर योग्य होने के दिनांक में धारित आरम्भिक रहतिया की वस्तु के सम्बन्ध में इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा 6 बराबर धनराशि की मासिक या त्रैमासिक किस्तो में, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत करेगा

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार की पहली किस्त का दावा, व्यवहारी को पंजीयन प्रार्थना पत्र जारी होने के दिनांक से चार माह बाद प्रारम्भ होने वाले टैक्स पीरियड के टैक्स रिर्टन के साथ प्रस्तुत होगा और अगली मासिक या त्रैमासिक किश्ते जैसी भी स्थिति हो, अगले टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न मे प्रस्तुत की जाएगी।	और इस प्रकार की पहली किस्त का दावा, व्यवहारी को पंजीयन प्रार्थना पत्र जारी होने के दिनांक से चार माह बाद प्रारम्भ होने वाले टैक्स पीरियड के टैक्स रिर्टन के साथ प्रस्तुत होगा और अगली मासिक या त्रैमासिक किश्ते जैसी भी स्थिति हो, अगले टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न मे प्रस्तुत की जाएगी।
(घ) धारा 6 मे समाधान अवधि की समाप्ति के दिन अन्तिम रहतिये मे बची वस्तुओ के सम्बन्ध मे, इन्पुट टैक्स का दावा समाधान अवधि के समापन के बाद मे आने वाला दिन, जिस टैक्स अवधि मे है उस अवधि के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया जाएगा	(घ) धारा 6 मे समाधान अवधि की समाप्ति के दिन अन्तिम रहतिये मे बची वस्तुओ के सम्बन्ध मे, इन्पुट टैक्स का दावा समाधान अवधि के समापन के बाद मे आने वाला दिन, जिस टैक्स अवधि मे है उस अवधि के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया जाएगा
(ङ) अन्य सभी मामलो में, उस टैक्स अवधि के टैक्स रिर्टन के साथ जिसमे वह वस्तु खरीदी गई है।	(ङ) अन्य सभी मामलो में, उस टैक्स अवधि के टैक्स रिर्टन के साथ जिसमे वह वस्तु खरीदी गई है।
स्पष्टीकरण :-	**स्पष्टीकरण :-**
(1) इस नियम के बन्ध (ब), (स) एवं (द) के सदर्भ मे स्टाक मे बचे सामान में वह वस्तुए भी सम्मिलित है जो स्टाक में उपलब्ध निर्मित माल में प्रयोग हुई हो या अर्धनिर्मित माल के निर्माण की प्रकिया में प्रयोग हुई हो।	(1) इस नियम के बन्ध (ब), (स) एवं (द) के सदर्भ मे स्टाक मे बचे सामान में वह वस्तुए भी सम्मिलित है जो स्टाक में उपलब्ध निर्मित माल में प्रयोग हुई हो या अर्धनिर्मित माल के निर्माण की प्रकिया में प्रयोग हुई हो।
(2) इस नियम के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए यदि नियम 45 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित कर अवधि में चतुर्थ माह समाप्त हो जाता है तो प्रथम किश्त का दावा उस टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें चतुर्थ माह समाप्त हो रहा है।	(2) इस नियम के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए यदि नियम 45 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित कर अवधि में **पंचम्** माह समाप्त हो जाता है तो प्रथम किश्त का दावा उस टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें **पंचम्** माह समाप्त हो रहा है।

आज्ञा से

(के0 चन्द्रमौलि)
प्रमुख सचिव

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com